

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर, ( आर0ए0एस0 )

रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 07 सन 2017

अनवान :-

1. सिलोचना पत्नी प्रताप सिंह जाति स्वामी निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
2. बिमला पत्नी रामजीलाल जाति स्वाती निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

सायलान

बनाम

1. सिलोचना पत्नी रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी गढडा तहसील भादरा।  
असल गैर सायलान
2. अमरसिंह 3 किशोरीलाल 4 फूलचंद 5 ओमप्रकाश पि0 पतराम जाति स्वामी निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :- श्री मागेराम गोदारा अभिभाषक, सायलान

निर्णय दिनांक :- 28/12/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने विरुद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान न0 2 ता 5 की खातेदारी भूमि चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 2/7 के प0न0 373/418(23) के किला न0 1, 2, 9 ता 11 व 20 / 1.4670हैक, प0न0 372/418(24) के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15/2.2770हैक मु0न0 93/43 की 0.0510हैक गै0मु0 रास्ता कुल 3.7950हैक भूमि है तथा सायलान के चिपते हुए गैरसायलान न0 1 की खाता संख्या 142/66 के प0न0 373/418(23) किला न0 21/ 0.253, प0न0 372/418(24) के किला न0 16 ता 18 व 22 ता 25/1.7710हैक प0न0 372/419(25) के किला न0 1 ता 7/1.6440हैक मु0न0 96/18 की 0.1270हैक गै0मु0रास्ता कुल 3.7950हैक भूमि दर्ज है।

सायलान अपने खेत में आने जाने के लिए मन्जुर शुद्धा रास्ता से होकर आगे दो बीधा गैरसायलान के खेत में से प0न0 372/418(24) के किला न0 18 व 23 में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर चलकर अपने खेत में प्रवेश करते हैं क्योंकि मन्जुर शुद्धा रास्ता खेत से 2 बीधा दुरी पर पडता है यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है इसलिये गैरसायलान हमेशा उक्त रास्तों को बन्द करने की धमकी देते हैं इसलिये उक्त रास्तों को स्वीकृत करवाकर 1-1 विश्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा रास्ते के बदले में आई भूमि के बदले में भूमि गैरसायलान के चिपते हुए देने को तैयार है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 142/66 के प0न0 372/418 (24) के किला न0 18 व 23 में पश्चिम दिशा में 1-1 विश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान न0 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायलान न0 2 ता 5 ने सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील सायलान को सुना गया।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सायलान एवं गैरसायलान न0 2 ता 5 की खातेदारी भूमि चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 2/7 के प0न0 373/418(23) के किला न0 1, 2, 9 ता 11 व 20 / 1.4670हैक, प0न0 372/418(24) के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15/2.2770हैक मु0न0 93/43 की 0.0510हैक गै0मु0 रास्ता कुल 3.7950हैक भूमि है तथा सायलान के चिपते हुए गैरसायलान न0 1 की खाता संख्या 142/66 के प0न0 373/418(23) किला न0 21/ 0.253, प0न0 372/418(24) के किला न0 16 ता 18 व 22 ता 25/1.7710हैक प0न0 372/419(25) के किला न0 1 ता 7/1.6440हैक मु0न0 96/18 की 0.1270हैक गै0मु0रास्ता कुल 3.7950हैक भूमि दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

सायलान अपने खेत में आने जाने के लिए मन्जुर शुद्ध रास्ता रो होकर आगे दो बीघा गैरसायल के खेत में रो प0न0 372/418(24) के किला न0 18 ता 23 में पश्चिम दिशा में दक्षिण रो उत्तर चलकर अपने खेत में प्रवेश करते है वयोकि मन्जुर शुद्ध रास्ता खेत से 2 बीघा दुरी पर पडता है यही सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है इसलिये गैरसायल हमेशा उक्त रास्तों को बन्द करने की धमकी देते है इसलिये उक्त रास्तों को स्वीकृत करवाकर 1-1 विश्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें तथा रास्तों के बदले में आई भूमि के बदले में भूमि गैरसायल के चिपते हुए देने को तैयार है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सायलान एवं गैरसायलान एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायलान का कथन है कि उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है इसलिये रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 142/66 के प0न0 372/418 (24) के किला न0 18 व 23 में पश्चिम दिशा में 1-1 विश्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है वयोकि यह सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है।

सायलान के कथनों पर तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट मगवाई गई मौका रिपोर्ट के अनुसार सायलान की खातेदारी भूमि और स्वीकृत शुद्ध रास्ता के मध्य गैरसायल की भूमि है सायलान जहाँ से रास्ता चाहते है वह गैरसायल की भूमि के चिपते हुए स्वीकृत रास्ता से दो किला की दुरी पर है सायल की भूमि और स्वीकृत रास्ता के मध्य गैरसायल की भूमि है तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार सायल को प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्ध रास्ता नही है सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता की आवश्यकता है एवं प्रश्नगत रास्ता सायलान के लिये सुविधाजनक एवं निकटतम है।

किस्सी भी खातेदार काश्तकार को उसकी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता की आवश्यकता रहती है एवं काश्तकार को उसकी भूमि में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है प्रकरण में सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है जो तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से साबित है अर्थात सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट व गैरसायल न0 2 ता 5 की सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 142/66 के प0न0 372/418 (24) के किला न0 18 व 23 में पश्चिम दिशा में 1-1 विश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है सायलान उक्त रास्ते में जितनी भूमि आती है उसके बदले में गैरसायल न0 1 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए भूमि देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावें व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20/12/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
क्रमांक : राजस्व/2020/251(A)/2017/07 दिनांक 28.12.20

तहसीलदार ( राजस्व)  
नोहर

विषय :- रवीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध  
में प्रार्थना-पत्र सं० 07 सन 2017 निर्णय दिनांक 28/12/20

अनवान :-

अनवान :-

1. सिलोचना पत्नी प्रताप सिंह जाति स्वामी निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
2. बिमला पत्नी रामजीलाल जाति स्वाती निवासी बरवाली तहसील नोहर।


सायलान

बनाम

1. सिलोचना पत्नी रामचन्द जाति मेधवाल निवासी गढडा तहसील भादरा।  
असल गैर सायलान
2. अमरसिंह 3 किशोरीलाल 4 फुलचंद 5 ओमप्रकाश पि० पतराम जाति स्वामी  
निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी गैर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या 07/2017 उक्त अनवानी स्वीकार कर  
आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 142/66 के प० न०  
372/418 (24) के किला न० 18 व 23 में पश्चिम दिशा में 1-1 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया  
जाता है सायलान उक्त रास्ते में जितनी भूमि आती है उसके बदले में गैरसायल न० 1 को  
उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए भूमि दिये जाने आदेश पारित किये गये हैं इसी अनुसार  
राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर